संख्या-358/2023/1416/22-2-2023-17(376)/2023

प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 14 जून, 2023

विषयः- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विजय शंकर कुशवाहा पुत्र स्व0 रामनरेश, निवासी जनपद-गाजीपुर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-5535/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-08.02.2023) दिनांक-20.02.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विजय शंकर कुशवाहा पुत्र स्व0 रामनरेश, ग्राम-सुसुन्डी, थाना-नोनहरा, जनपद-गाजीपुर का निवासी है। दिनांक 17.08.2006 को धान व धनिया के खेत में पानी चले जाने के कारण बंदी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक कट्टा व रायफल से गोली मारकर राजदेव, जयप्रकाश व हरिओम नामक 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराधों हेतु बन्दी को एसटी नं0-214/2006 भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34 व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-03, गाजीपुर के आदेश दिनांक 20.01.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। दिनांक 31.01.2023 तक अपरिहार 16 वर्ष 05 माह 10 दिन तथा 19 वर्ष 06 माह 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 24.09.2022 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर द्वारा बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 17.08.2006 को धान व धनिया के खेत में पानी चले जाने के कारण बंदी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, कट्टा व रायफल से गोली मारकर राजदेव, जयप्रकाश व हरिओम नामक 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी विजय शंकर कुशवाहा पुत्र स्व0 रामनरेश को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विजय शंकर कुशवाहा (बंदी संख्या-369/2014) पुत्र स्व0 रामनरेश, निवासी जनपद-गाजीपुर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-358/2023/1416(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को रिट याचिका (क्रि0) सं0-336/2019 रसीदुल जफर उर्फ छोटा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-358/2023/1416/22-2-2023-17(376)/2023

दिनांक 14 जून, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विजय शंकर कुशवाहा पुत्र स्व0 रामनरेश, ग्राम-सुसुन्डी, थाना-नोनहरा, जनपद-गाजीपुर का निवासी है। दिनांक 17.08.2006 को धान व धनिया के खेत में पानी चले जाने के कारण बंदी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक कट्टा व रायफल से गोली मारकर राजदेव, जयप्रकाश व हरिओम नामक 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराधों हेतु बन्दी को एसटी नं0-214/2006 भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34 व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-03, गाजीपुर के आदेश दिनांक 20.01.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। दिनांक 31.01.2023 तक अपरिहार 16 वर्ष 05 माह 10 दिन तथा 19 वर्ष 06 माह 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 24.09.2022 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर द्वारा बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 17.08.2006 को धान व धनिया के खेत में पानी चले जाने के कारण बंदी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, कट्टा व रायफल से गोली मारकर राजदेव, जयप्रकाश व हरिओम नामक 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी विजय शंकर कुशवाहा पुत्र स्व0 रामनरेश को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।